

(ख) सहायक आयुक्त स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है।

(ग) और (घ) संशोधनों को तत्कालीन वित्त सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की सहमति से और संगठन के कार्यकारी एवं प्रशासन प्रमुख की अपनी हैसियत से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से स्वीकार किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नए ऐच्छिक विषय आरंभ करना

3316. श्री राघवजी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त संघर्ष समिति को कतिपय नए ऐच्छिक विषय आरंभ करने की मांग को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है कि संगठन ने सीनियर सैकेण्डरी पाठ्यक्रमों के लिए नए ऐच्छिक विषयों को आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव प्रतिपादित किया है। तथापि संसाधनों की कमी के कारण, इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

#### Complaints against principals

3317. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTa) has brought to notice of the KVS the corrupt practices and administrative irregularities committed by certain Kendriya Vidyalaya Principals;

(b) if so, what are the details thereof; and  
(c) the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) to (c) Yes, Sir, Kendriya Vidyalaya Sangathan has intimated that All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTa) has during 1993-94, brought to notice complaints relating

to alleged irregularities against Principals of some Kendriya Vidyalayas. The Sangathan has initiated necessary action as per rules.

गुजरात के विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान

3318. श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को, विशेष कर गुजरात में, कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात के विश्वविद्यालयों के लिए कितनी धनराशि दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) 120 विश्वविद्यालयों और 34 सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं की एक सूची संलग्न है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। [देखिए परिशिष्ट 171, अनुपत्र सं 55]

(ख) योजनागत और योजनेतर के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान सम-विश्वविद्यालयों सहित सभी पात्र विश्वविद्यालयों को दी गई कुल राशि 378.33 करोड़ रु. है। वर्ष 1993-94 के दौरान योजनेतर के अंतर्गत गुजरात में विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को 221.30 लाख रु. और योजनागत के अंतर्गत 467.73 लाख रु. की राशि प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 1994-95 (16.8.1994 तक) के दौरान गुजरात में विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को योजनेतर के अंतर्गत 126.11 लाख रु. की राशि और योजनागत के अंतर्गत 255.69 लाख रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

#### Financial Assistance for Open Universities

3319. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many Open Universities are presently functioning under University Grants Commission affiliation;

(b) whether there is any effort to have common syllabi or courses for all these Open Universities;